



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुचारांम सप्तो वगीरह वनाग कमिश्नर सप्तो वगीरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-12-17	<p>अगिलेख सं०-एम. 169 / 2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सोनाहाबु (सहि जीठपी) के अप्राथमिकी सं०-45/17 दिनांक 26/11/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>रमि विवाद की लेकर समय पत्र के बीच तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति मंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या समय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति मंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>22-12-17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
22-12-17	<p><u>रमिलेख उपस्थापित । समय पत्र उपस्थित । प्रथम पत्र की जोर से न्यायालय में एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि प्रथम पत्र के क्रम</u></p>	

(5)

पृष्ठ सं०-

दिशि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रथम पत्र अर्थात् दारिगल को दिनांक
25-06-18 को रखे ।

&
25/5/18

25-06-18

अभिलेख उपस्थापित । उभय पत्र
अनुपस्थित । उक्त वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालवाप्त हो गया है । उक्त वाद
में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती
है ।

&
25/6/18